

256

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फोन नं०(0135) - 2713551

संख्या-२११/XXV- 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 16 मई, 2024

सेवा में,

श्री देवी प्रसाद पाण्डेय,  
शक्ति विहार  
कारगी रोड निकट जे०पी० प्लाजा  
देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 08 मई, 2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 10 मई, 2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना के अधिकार में मांगी गयी बिन्दु संख्या 01 से 07 तक की सूचना चाही गई है।

उक्त के क्रम में बिन्दु संख्या 01 की सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,  
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,  
देहरादून-248001  
मो०न०-9897995591

भवदीय,  
Signed by Basant Singh  
Rawat  
Date: 16-05-2024 11:26:14

(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी/  
लोक सूचना अधिकारी  
मो०न० 9411740189

पू०संख्या-२११/XXV- 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या-02 से 07 तक की सूचना जो आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अनुरोधकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551 फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या 2716 /XXV-06/2024

देहरादून :

दिनांक 24 अप्रैल 2024

सेवार्मे,

जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
देहरादून।

विषय- लोक सभा सुचना-2024 की सूची में नाम काटे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्रार्थी श्री देवी प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व० श्री भोला दत्त पाण्डेय, शक्ति बिहार निकट, जे०पी० प्लाजा, कार्गी रोड़ देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 20.04.2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आवेदक लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान नहीं कर सके हैं। आवेदक द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री देवी प्रसाद पाण्डेय के शिकायती पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं कि कृपया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नियमानुसार जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(किशन सिंह नेगी)

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

सेवामें

सूचना

दिनांक- 10/5/24

पंजीकृत

श्रीमान लोक सेवा आयोग  
जिला- देहरादून, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

4 सुभाष रोड देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

संदर्भ:- मेरे पत्र सं० 20-4-2024

महोदय, कृपया मेरे दि० 20-4-2024 के पत्र के सम्बन्ध में आक्रांत करना चाहता हूँ विषयक के सम्बन्ध में सूचनायें उपलब्ध कराने की कृपा करें, मैं सभी सूचनायें लोक सेवा के लिये बोर्ड से वंचित रखने के सम्बन्ध में हूँ,

1. मेरे संदर्भ के पत्र में कृत कार्यवाही से अवगत कराये साथ ही उन सभी पत्रों की एक-एक प्रति मुझे उपलब्ध कराई जाए।

2. एक बंधरिष्ट नागरिक को बोट डालने से क्या आपके विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वंचित करना न्याय संगत है,

3. सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर सूचित करने पर भी किसी भी प्रकार अचित कार्यवाही न करना कहाँ तक न्याय संगत है, अवगत कराये,

4. मेरे दि० 20-4-2024 के पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् आपके कार्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराये,

5. समय-समय पर माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद किसी भी नागरिक को बोट डालने से वंचित रखना अचित है, कृपया उल्लेख करें, मेरे दि० 20-4-2024 के पत्र में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करना क्या न्याय संगत है

6. श्री विवेक नेगी मो० न० 7830245 अत्र अजोकि इस क्षेत्र के वीएलओ थे मेरे घर इस सम्बन्ध में आये थे, A.P.O. मो० जिनका मो० न० 7579202999 से एक्स मोटिंग हेल्प लाईन से भी बात की है, वे मुझे मोटर स्प्रीप देने का अस्वाभाविक दंड रहे परन्तु उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की है।

कृपया अवगत कराये कि इनके विरुद्ध अभी तक  
क्या कार्रवाई की गई है

7. कृपया इस सम्बन्ध में मरा सुझाव है कि इस प्रकार  
पर आवश्यक जांच विठाई जाय तथा दोषियों को उचित  
दण्ड दिया जाय, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी  
देने की कृपा करें,

स्थान: देहरादून

दि 05-5-2024

सलमन:- पारस्टन आर्ट्स  
रूम 64F. 010256 रूम 10/- मात्र  
दि 09-5-2024 आवेदन शुल्क,

पार्थी  
Safander  
(टेलीग्राम संवाद पाठक)  
शक्ति विहार कारगो रोड  
गिकट जेम्पी एनजी,  
देहरादून उत्तराखण्ड  
मो 09218600024

-xxx-